न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

जयराम व अन्य बनाम **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी व अन्य**

किस्म मुकदमा **235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** नम्बर 14 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.02.20	आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित उपस्थित। अप्रार्थी–01 व 02 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो सामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षित वाक्यात इस प्रकार है कि प्रार्थीपक्ष ने उपखण्ड अधिकारी औसियां न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरण संख्या 358ए/2017 तहसीलदार तिंवरी बनाम जयराम वगैरा में वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलने की संभावना होने से सुनवाई के लिए अन्यत्र न्यायालय में मुंतकिल करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2020 को प्रस्तुत होने पर प्रकरण पंजीकृत कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 24.02.2020 को प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि वाके ग्राम रामनगर तहसील तिंवरी में प्रार्थीपक्ष की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 519 आई हुई है तथा उक्त भूमि में रास्ता निकालने के लिए कुछ भूमि को प्रार्थी की ओर से सम्पर्ण बताते हुए प्रभारी अधिकारी, शिविर रामपुरा ने वर्ष 1983 में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से खसरा नम्बर 519/3 रकबा 10 बिस्वा व ख. नं. 519/4 रकबा 15 बिस्वा भूमि रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया गया। प्रार्थीपक्ष को उक्त आदेश की जानकारी होने पर एक अपील राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश की गई जो दिनांक 17.05.2017 को स्वीकार की गई जिसमें रास्ते बाबत् समर्पणनामा का आदेश दिनांक 03.02.1983 को निरस्त करते हुए पुनः उपखण्ड अधिकारी औसियां को प्रतिप्रेषित किया गया। बहस में आगे बतलाया कि राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 17.05.2017 में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश लगातार....	

दिया था इसके उपरान्त भी तहसीलदार तिंवरी ने राजस्व अपील अधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए प्रार्थी की खड़ी फसल में जे.सी.बी.चलाकर तथा पाईप लाईन में तोड़फोड़ कर मौके पर रास्ता बनाने की कार्यवाही की जिस पर वर्तमान उपखण्ड अधिकारी श्री रतनलाल रेगर के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष एक अवमानना प्रार्थना पत्र एवं एक याचिका भी उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत कर रखी है अतः ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थी ने इसी प्रकरण में अवमानना याचिका प्रस्तुत करने पर उसी प्रकरण की सुनवाई उसी व्यक्ति से कराना उचित व न्यायसंगत नहीं है, न प्रार्थी को न्याय मिलने की संभावना भी है। बहस के अन्त में कहा कि अवमानना कार्यवाही की वजह से पीठासीन अधिकारी प्रार्थीपक्ष से नाराजगी रखते है एवं प्रार्थी को अंदेशा है कि उसे न्याय नहीं मिलेगा। अतः उपखण्ड अधिकारी औसियां के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण सुनवाई के लिए अन्य सक्षम न्यायालय को मुंतकिल करने का आदेश दिया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर न्यायालय के राजस्व अपील जयराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत रामपुरा भाटिया व अन्य में दिये गये निर्णय दिनांक 17.05.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी औसियां को प्रतिप्रेषित करने पर विचाराधीन है। प्रार्थीपक्ष का मुख्य कथन यह है कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी श्री रतनलाल रेगर के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अवमानना का प्रार्थना पत्र पेश करने एवं अवमानना के संबंध में एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में भी प्रस्तुत करने पर पीठासीन अधिकारी श्री रेगर द्वारा नाराजगी रखने से उसी प्रकरण की सुनवाई उसी व्यक्ति से कराना उचित व न्यायसंगत नहीं होने एवं न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

अप्रार्थी–2 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी से निस्तारण के पश्चात् इस न्यायालय में दिनांक 28.07.2017 को दर्ज रजिस्टर कर पक्षकार को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 19.03.2019 को साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया तथा जिरह हेतु समय चाहा। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 16.04.

लगातार...

2019 को 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश करने पर जबाब हेतु मुकर्र थी तत्पश्चात् सरकार जरिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत $O_7 R_{11}$ सी.पी.सी.का पेश किया गया। रिपोर्ट में आगे बतलाया कि अप्रार्थी द्वारा राजस्व मंडल अजमेर में निगरानी पेश करने पर पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित कर दी एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 28.01.2020 को खारिज कर दिया जाय तथा पत्रावली पुनः कार्यालय को दिनांक 04.02.2020 को प्राप्त हुई तथा पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में विचाराधीन है। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि अप्रार्थी जयराम द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में कन्टेप्ट ऑफ कोर्ट पेश किया जो अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र जरिये विड्रोल खारिज करवा दिया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा उक्त प्रकरण को 04 माह में निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अप्रार्थी–एक (तहसीलदार तिंवरी) ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में बतलाया कि प्रार्थी जयराम व जयराम के पिता श्री लाबूराम ने दिनांक 03.02.1983 के दिन राजस्व अभियान में अन्य 6 खातेदारों के साथ इसी रास्ते का समर्पण किया था। उक्त समर्पणनामों के संबंध में राजस्व अभियान के प्रभारी अधिकारी के आदेश कमांक 1445 दिनांक 03.02.1983 के आधार पर ही ग्राम रामपुरा के नामान्तरकरण संख्या 599 के द्वारा खसरा संख्या 519/2 में से 15 बिस्वा भूमि गै.मु. रास्ते में दर्ज हुई थी तथा इसी रास्ते की भूमि पर ग्रेवल सड़क का निर्माण करने का आदेश पारित किया गया था तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ग्रेवल सड़क बनाई गई थी। प्रार्थी वहीं निवास करता था फिर भी उसके द्वारा सड़क बनाने में कोई आपत्ति नहीं की गई।

रिपोर्ट में आगे बतलाया कि प्रार्थी ने दिनांक 04.06.2014 को ग्राम रामनगर के ग्रामिणों के साथ तहसीलदार तिवरी के समक्ष प्रार्थना पत्र उपस्थित होकर इसी रास्ते की तरमीम करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। भू–अभिलेख निरीक्षक मथानियां की जांच रिपोर्ट के अनुसार भी खसरा नम्बर 546, 548, 519 व 519/2 में से समर्पित भूमि अनुसार रास्ता मौके पर निर्बाध रूप से खुला व आवागमन युक्त बताया गया। प्रार्थी ने माननीय कोर्ट आर.ए.ए. के समक्ष समर्पणनामा 1983 के विरूद्ध अपील दायर की जिसको स्वीकार करते

लगातार....

2.20 हुए न्यायालय ने दिनांक 17.05.2017 को उपखण्ड अधिकारी औसियां को प्रकरण रिमाण्ड किया गया। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि तहसीलदार तिंवरी द्वारा निगरानी 5700/2017 दिनांक 27.09.2017 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष पेश की गई जिस पर दिनांक 03.10.2017 को निर्णय पारित करते हुए माननीय बोर्ड ने आर.ए.ए. के निर्णय 17.05.2017 की पालना पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। दिनांक 06.10.2017 को आमजन के सुखाचार बाबत् बारम्बार हो रही शिकायतों के मध्यनजर ग्राम पंचायत रामपुरा भाटियान व पुलिस जाब्ता मथानिया के सहयोग से रास्ता पुनः सुचारू किया गया जो आज दिनांक मौके पर निर्बाध रूप से चालू है। प्रार्थी द्वारा जानबूझ कर अटकाने के प्रयास के तहत एक जांच रिपोर्ट का बहाना बनाकर निगरानी संख्या 2455/2019 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दायर की गई जिसे माननीय न्यायालय ने दिनांक 28.01.2020 को खारिज करते हुए स्पष्टतः आदेश किया है कि **"केवल मात्र विलम्ब के आश्य से निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई जिसका कोई सार नहीं है।"** अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थीपक्ष की उक्त रिपोर्टो से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी स्वयं द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 2455/2019 पेश की गई जो दिनांक 28.01.2020 को मात्र विलम्ब के आश्य से निगरानी प्रस्तुत किया जाना मानते हुए निरस्त की जा चुकी है तथा प्रार्थी प्रकरण निपटाने में अनावश्यक विलम्ब कर रहा है। विचाराधीन स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2020 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15177/2018 में दिनांक 14.02.2020 को निर्णित करते हुए उपखण्ड अधिकारी औसियां को चार माह के भीतर प्रकरण निपटाने को निर्देशित किया गया है अतः ऐसी स्थिति में माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की पालना में संबंधित उपखण्ड अधिकारी को ही प्रकरण का विधिक प्रकिया के तहत निस्तारण करना आवश्यक व उचित होगा, ऐसी स्थिति में प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी औसियां को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का विधिक प्रकिया

लगातार...

के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में निस्तारण करे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी औसियां को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

५